न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2007/00081 (76/2007) 223 आरटीएक्ट

देवी सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. जेठा वल्द लच्छीराम जाति ब्राहम्ण साकिन अरड़की तहसील नोहर।
2. बीरबल पुत्र कुम्भाराम (मृतक) वारिसान

   2/1 चानणराम } पुत्रगण बीरबल जाति राजपूत निवासी अरड़की तहसील नोहर जिला
   2/2 मदन सिह } हनुमानगढ।

   2/3 मुस्ममात दुर्गा बेवा बीरबलसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी अरड़की त0 नोहर ।
3. रेवन्तसिंह पुत्र कुम्भा जाति दरोगा
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीदार (राजस्व) – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 20.07.2007 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 218/2004 बअनवानी देवीसिह बनाम जेठा आदि

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक –19.11.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि उसको आवंटित रोही मौजा अरड़की के साबिका खसरा नं. 135 की 51 बीघा भूमि 11.07.1968 को बन्दो बस्त विभाग से साबिका खसरा नं. 135 की 51 बीघा के हाल खसरा 280/19.00, 305/16.10, 281/16.10 बीघा में परिवर्तित करते हुए प्रतिवादीगण ने 305 की 16.10 बीघा प्रतिवादी नं. 1 तथा खसरा नं. 281 की 16.10 बीघा प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि यह भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.10.77 को वाद वादी डिक्री किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 30.07.79 को खारिज की गई। दिनांक 21.02.80 को पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर डिक्री तैयार की गई। तत्पश्चात् दिनांक 06.07.84 को प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 बीरबल रेवन्तसिंह ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र डिक्री दिनांक 29.10.77 को निरस्त करने हेतु पेश किया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर एक तरफा डिक्री दिनांक 19.10.77 व 21.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का आसा पास नहीं दर्शाया गया है। मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। कौनसी भूमि अपीलाण्ट को अलॉट हुई थी। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। वादी को कभी कोई भूमि साबिका ख0 नं0 135 में अलॉट नहीं हुई तथा ना ही कब्जा है इसलिए वादी के नाम दर्ज नहीं हुई। आराजी मुतनाजा हमेशा से ही प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है और वे उसके खातेदार काश्तकार हैं। वादी किसी श्रेणी का काश्तकार नहीं है इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है। वादी काश्तकार पेशा नहीं बल्कि नगरपालिका नोहर का कर्मचारी है तथा नोहर का निवासी है इसलिए वादी का आराजी मुतनाजा पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादी जिस समय आवंटन होना दर्ज करता है उस समय नाबालिग था इसलिए काश्तकार न होने तथा नाबालिग होने की वजह से आवंटन प्रभावहीन व शून्य है। वादी का पिता हनुमानसिंह तहसील नोहर में चपरासी था ने राजस्व अधिकारियों से साज करके वादी के नाम फर्जी रिकार्ड तैयार करवाया है वादी का आराजी मुतनाजा में न तो किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा है तथा न आराजी मुतनाजा वादी के कभी कब्जा काश्त में ही रही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय में वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा का पेश किया था। प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य बिन्दू यह है कि रोही मौजा अरड़की के साबिका खसरा नं. 135 की 51 बीघा भूमि 11.07.1968 को बन्दो बस्त विभाग से साबिका खसरा नं. 135 की 51 बीघा के हाल खसरा 280/19.00, 305/16.10, 281/16.10 बीघा में परिवर्तित करते हुए प्रतिवादीगण ने 305 की 16.10 बीघा प्रतिवादी नं. 1 तथा खसरा नं. 281 की 16.10 बीघा प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि यह भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जिसमें एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.10.77 को वाद वादी डिक्री किया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 30.07.79 को खारिज की गई। दिनांक 21.02.80 को पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर डिक्री तैयार की गई। तत्पश्चात् दिनांक 06.07.84 को प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 बीरबल, रेवन्तसिंह ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी एवं 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र डिक्री दिनांक 29.10.77 को निरस्त करने हेतु पेश किया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर एक तरफा डिक्री दिनांक 19.10.77 व 21.02.80 को निरस्त कर जवाब दावा पेश करने हेतु निश्चित हुआ। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय में तनकियात कायम कर 28.05.1990 वादी का वाद खारिज किया गया जिसकी अपील देवी सिह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत हुई राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.1990 को अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

02.80 को निरस्त कर जवाब दावा पेश करने हेतु निश्चित हुआ। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय में तनकियात कायम कर 28.05.1990 वादी का वाद खारिज किया गया जिसकी अपील देवी सिह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत हुई राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.12.1990 को अधिनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2004 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने वर्तमान अपीलाधीन आदेश 20.07.2007 के द्वारा दिनांक 28.05.1990 को किये गये आंशिक डिक्री को यथा रखते हुए शेष वाद को खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानून, नियम, वाक्यात व रूएदाद मिसल है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व जबानी साक्ष्य पर कोई गौर न कर कतई मनमाना व स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। उपर की अदालतों ने कुछ निर्देशों के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया था वादी ने उन निर्देशों की पालना में अपने दस्तावेजी साक्ष्य व जबानी साक्ष्य पेश किये मगर मातहत अदालत ने उनका कोई मूल्यांकन न करते हुए उपर की अदालत के निर्देशों की पालना न करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मौखिक साक्ष्य करवाई गई जिसमें प्रतिवादी नं. 3 रेवन्तसिंह ने अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश किया था कि खसरा नं. 281 की 16.10 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त भूमि में मुझ प्रतिवादी व बीरबल का कोई सरोकार नहीं है तथा इसके अलावा प्रतिवादीगण रेवन्तसिंह व महावीर पुत्र बीरबलसिंह अदालत मातहत स्वयं हाजिर होकर वादी के समर्थन में गवाह के रूप में अपने बयान कलमबद्ध करवाये थे मगर मातहत अदालत ने कतई नियम विरूद्ध वादी का दावा आंशिक डिक्री किया है जबकि अपीलाण्ट का वाद पूर्णतया डिक्री किये जाने योग्य था। मातहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 28.05.1990 को आधार मानकर केवल 28.05.1990 के निर्णय की पुनरावर्ती की है। रेस्पोडेण्ट ने कोई काउण्टर क्लेम पेश नहीं किया था बल्कि वादी के दावा को स्वीकार किया है। अपीलाण्ट के साक्ष्यों को क्यों नहीं माना गया इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (8) 2001 पेज 447, आरबीजे 2001 पेज 539 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अलॉटमेंट के समय अपीलाण्ट नाबालिग था। प्रश्नगत कृषि भूमि का बेनामी अलॉटमेंट हुआ है। प्रश्नगत भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2004 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को रिमाण्ड किया गया। **दिनांक 28.05.1990 पारित निर्णय एवं डिक्री में वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री किया गया ओर रोही अरड़की के ख. नं. 305 की 16.10 बीघा भूमि वादी की खातेदारी भूमि घोषित की गई तथा ख0 नं0 281 की 16.10 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में नहीं होना मानते हुए वादी का कोई अधिकार नहीं माना गया था। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ में होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस निर्णय को बहाल रखा जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमर ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2004 द्वारा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया था कि विचारण न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श नम्बर अंकित करे तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तथ्यों की वाद बिन्दुवार विवेचना करते हुए दावें में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जिस पर विचारण न्यायायल में अपीलाण्ट ने नया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यह भी उल्लेखनिय है कि अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार कोई नया साक्ष्य तथ्य पेश नहीं किया है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय पारित कर सकता है। प्रकरण में आये तथ्यों के अनुसार वादी को साबिका ख0 नं. 135 की 51 बीघा भूमि दिनांक 11.07.1968 को आवंटन हुई तथा उस समय वह नाबालिग था तथा बाद में बालिग होने पर वह नौकरी करने लगा यह तथ्य अपीलाण्ट/वादी ने स्वयं ने ही स्वीकार किये हैं।** उक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.05.1990 को किये गये वाद में जारी की गई आंशिक डिक्री को यथावत रखते हुए शेष को खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

अपील संख्या – अपील नं0 2007/00081 (76/2007) 223 आरटीएक्ट

देवी सिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. जेठा वल्द लच्छीराम जाति ब्राहम्ण साकिन अरड़की तहसील नोहर।
2. बीरबल पुत्र कुम्भाराम (मृतक) वारिसान

2/1 चानणराम } पुत्रगण बीरबल जाति राजपूत निवासी अरड़की तहसील नोहर जिला
2/2 मदन सिह } हनुमानगढ।

2/3 मुस्ममात दुर्गा बेवा बीरबलसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी अरड़की त0 नोहर

3. रेवन्तसिंह पुत्र कुम्भा जाति दरोगा
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीदार (राजस्व) – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनाक 20.07.2007 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 218/2004 बअनवानी देवीसिह बनाम जेठा आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री महेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट, श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2007 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.11.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:46:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: